

फर्द अहकाम

कात्याज व अम बिनाम जयपुरा व अम
 उपखण्ड अधिकारी
 न्यायालय जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
 संख्या 80/2024

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञाविरुद्ध रूप से	विशेष विवरण
22/5/25		पत्रावली पेश हुई व फील उपपक्ष उपस्थित पत्रावली में एक सूची गई। वामे एक आदेश हेतु दिनांक 19/6/25 को प्रेषित है।	
19/6/25		पत्रावली पेश हुई। पत्रावली उपपक्ष (उप) काउन्सिल आयाजी का बाकेराम कुडकिंदुवा कृषि सुखि 33/630-21 का 0.04 का क्लीसंख्या 12/13 का 2 प्रति दारद्वोषि व विधेयता है तथा प्रतिपत्ती संख्या 1 का नामे रायल 12/13 का नामे कायमपन विधेय जावे। विस्तृत निर्णय पृथक् 1 कोषापी कायम उपपक्ष पत्रावली उपपक्ष कायम के एक बादि एक मीमदा विना उपपक्ष	

उपखण्ड अधिकारी
 जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

उपखण्ड अधिकारी
 जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

पत्रावली
 अहकाम

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाव्वा दीवानी)

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.

वाद संख्या : 80 / 2024

पारित डिक्री दिनांक: 19.06.2025

उनवान

1. कल्याण पुत्र गंगाराम
2. कैलाश पुत्र हरिनारायण
3. कानाराम पुत्र सेडूराम
4. जगदीश पुत्र सेडूराम
5. ज्ञानाराम पुत्र गंगाराम
6. धन्नाराम पुत्र सेडूराम
7. भंवरलाल पुत्र गोपाल
8. मूलचंद पुत्र रोडूराम
9. रामजीलाल पुत्र हरिनारायण
10. रामरतन पुत्र हरिनारायण
11. रामेश्वर पुत्र हरिनारायण
12. शंकर लाल पुत्र गोपाल
13. सीताराम पुत्र गोपाल

समस्त जाति जाट नि. ग्राम बुद्धसिंहपुरा पटवार हल्का श्योपुर तहसील सांगानेर
जिला-जयपुर

-वादीगण

वनाम

1. जयराम पुत्र सूज्या जाति जाट निवासी ग्राम बुद्धसिंहपुरा पटवार इल्का श्योपुर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर (राज.)

-प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरुस्ती, तकासमा, एवं स्थाई निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु उपखण्ड अधिकारी, सांगानेर द्वितीय जयपुर व हाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुदई रुबरु वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि वाग्रस्त आराजी वाके ग्राम बुद्धसिंहपुरा तहसील सांगानेर जयपुर स्थित कृषि भूमि के ख.नं. 371/630 रकबा 0.04 हैक्टेयर का वादी संख्या 1 लगायत 13 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 का राजस्व रिकार्ड से नाम कलमजन किया जावे। तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकका अदा करें।

बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19.6.2025 को जारी


की गई।

मुहर

दस्तखत
उपखण्ड अधिकारी
ओहव...द्वितीय...सांगानेर

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	1	00	स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	1	00

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।


उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)